बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

19, महर्षि दयानन्द मार्ग, प्रयागराज

परिवाद संख्या 98 / 2024

नन्द किशोर ——————परिवादी

बनाम

श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट, ——————विपक्षी अधिवक्ता

आदेश

श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट, द्वारा दिनांक 25.09.2025 को सपथ पत्र के माध्यम से रिकॉल प्रार्थनापत्र समिति के समक्ष दाखिल किया गया है एवं साथ ही साथ मामले के निस्तारण तक पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 को स्थगित करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने रिकॉल प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि उक्त वाद में परिवादी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध एक परिवाद दाखिल किया था जिस पर समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये बिना विपक्षी अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये एपक्षीय रूप से दिनांक 11.06.2024 को निर्णित करते हुये विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध आदेश परित कर दिया गया जो रिकॉल होने योग्य है।

समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थनापत्र का परिक्षण किया गया। समिति द्वारा यह पाया गया कि विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 पूर्ण रूप से एकपक्षीय है जो रिकॉल होने योग्य है। उपरोक्त के कम में समिति द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 को रिकॉल प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है तथा मामले की सुनवाई हेतु दिनांक 23.11.2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में तिथि नियत की जाती है। कार्यालय को निर्देषित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश की सूचना उभयपक्षों को जरिये डॉक प्रेषित करें।

दिनाँकः 29 / 10 / 2025

Sd   Sd

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

TRUE COPY

Section Officer
DISCIPLINARY COMMITTEE
BAR COUNCIL OF U.P. PRAYAGRAJ

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD